न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली केम्प कोर्ट मुण्डारा

पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)
राजस्व अपील सं. 5/2021 GCMS NO-2021/124
दायरा तिथि 12.07.2021
आदेश तिथि 02.10.2021

अपीलांट :– घेवरचंद पुत्र जीवारामजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा तहसील बाली

रेस्पोंडेंट

1. ग्राम पंचायत मुण्डारा तहसील बाली
2. नथाराम पुत्र नवारामजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
3. मोहनलाल पुत्र नेकाराम जाति सुथार निवासी मुण्डारा
4. रतनी पत्नी परवु जाति सुथार निवासी मुण्डारा
5. स्व. मूला पुत्र पोमा के का.मु.
   1. हेमाराम पुत्र मूलाजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
   2. भूराराम पुत्र मूलाजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
   3. अमृतलाल पुत्र मूलाजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
   4. कन्या पुत्री मूलाजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
6. डुगाराम पुत्र मूलारामजी के का.मु.
   1. सुरेश कुमार पुत्र डुगारामजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
   2. जितेन्द्र कुमार पुत्र डुगारामजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
   3. नीता पुत्री डुगारामजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
   4. मनीषा पुत्री डुगारामजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
   5. वरदीबाई पत्नी डुगारामजी जाति सुथार निवासी मुण्डारा
7. तहसीलदार बाली

अपील अंतर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम 1956

:– आदेश :– **दिनांक 02.10.2021**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अपीलांट ने उक्त अपील सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा ना0क0 संख्या 326 दिनांक 29.05.71 के संवंध में पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की । प्रस्तुत अपील में रेस्पोंडेंट को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 वावजूद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेंस्पोंडेंट संख्या 6 के समस्त का.मु. की ओर से अधिवक्ता श्री रताराम राठौड द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बाली से विवादास्पद ना0क0 से संवंधित मूल रिकॉर्ड तलव किया जाने पर तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक 2021/1370 दिनांक 04.08.2021 से मूल रिकार्ड प्रेषित किया। प्रकरण बहस के लंबित रहते प्रशासन गावों के संग अभियान होने से प्रकरण में केम्प कोर्ट के नोटिस जारी किये गये। केम्प मुण्डारा में रेस्पोंडेंट संख्या 2,3, 5/1 व 5/3 ने व्यक्तिश उपस्थित होकर अपीलार्थी घेवरचंद का नाम वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा के वर्तमान खसरा नं. 446, 447, 448 कुल खसरा 3 कुल रकवा 1.62 हैक्टर में अपीलांट का हिस्सा अनुसार नाम दर्ज किये जाने वावत सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही रेस्पोंडेंट संख्या 6 के का.मु. सुरेश कुमार से भी दूरभाष पर बात कराई गई जिसमें सुरेश कुमार ने भी घेवरचंद का नाम विवादास्पद ना0क0 में नहीं होने से हिस्सा अनुसार दर्ज किये जाने की सहमति दी।

Scanned with CamScanner

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से प्रमाणित है कि प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम मुण्डारा के गत खसरा नं. 377, 382, 342, 343 कुल खसरा 4 कुल रकबा सवा पच्चीस बीघा तीन बिस्वा अपीलांट व रेस्पोंडेंट के दादा पोमा पुत्र फता सुथार के नाम जमाबंदी संवत 2026 से 2029 में दर्ज थी। पोमा के फौत होने पर ना0क0 संख्या 326 तात्कालीन पटवारी मुण्डारा द्वारा दाखिल करते समय पोमा के वारिस मूला नेका व पुत्र नविया के फौत होने से नथिया व परबुडा के नाम दर्ज किये गये जिस ना0क0 को सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा 29.05.71 को स्वीकृत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल की प्रति के अनुसार मुण्डारा के गत खसरा नं. 382 मीन से हाल खसरा नं. 446, 447, 448 बनने प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमावंदी संवत 2076 से 2079 की प्रति में दर्ज इन्द्राज अनुसार नथाराम पुत्र नवाराम 1/6 हिस्सा, मूला पुत्र पोमा 1/3 हिस्सा, मोहनलाल पुत्र नेकाराम 1/3 हिस्सा और रतनी पत्नी परबू 1/6 हिस्सा जाति सुथार सा. देह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार यह प्रमाणित है कि पोमा के चार पुत्र नविया, मूला, नेका, जीवा हुये है परंतु विवादास्पद ना0क0 से अपीलांट घेवरचंद के पिता जीवाराम का नाम उक्त फौतेदगी ना0क0 में दर्ज करने से रह गया। अब चूकि रेस्पोंडेंट भी नाम दर्ज करवाने हेतु सहमति प्रदान करते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम मुण्डारा का ना0क0 संख्या 326 स्वीकृति दिनांक 29.5.71 निरस्त किया जाता है। मूल ना0क0 संख्या 326 की सत्यापित प्रति तहसीलदार बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट के दादा स्व. पोमा पुत्र फता के चारों पुत्रों यथा नविया, मूला, नेका, जीवाराम के समस्त वारिसान के नाम नये सिरे से ना0क0 की कार्यवाही कर पालना से 15 दिवस में इस न्यायालय को अवगत करावें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बाली

आदेश आज दिनांक 02.10.2021 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाली
केम्प कोर्ट मुण्डारा

Scanned with CamScanner